भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2791
दिनांक 12 दिसंबर, 2024

एलपीजी लाभार्थियों का ई-केवाईसी

†2791. श्री तारिक अनवर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान एलपीजी लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ख) सरकार द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान एलपीजी लाभार्थियों के सामने आने वाली समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) राज्य में कितने एलपीजी उपभोक्ताओं ने अपनी संबंधित गैस एजेंसियों पर राज्य-वार अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): पहल योजना के तहत, एलपीजी सिलेंडर गैर-राजसहायता प्राप्त वाले मूल्य पर बेचे जाते हैं और एलपीजी उपभोक्ताओं को लागू राजसहायता सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। राजसहायता या तो आधार अंतरण अनुपालक (एटीसी) अथवा बैंक अंतरण अनुपालक (बीटीसी) मोड के माध्यम से अंतरित की जाती है। पहल ने 'नकली' खातों, एक से अधिक खातों और निष्क्रिय खातों की पहचान करने में मदद की है। इससे राजसहायताप्राप्त वाले एलपीजी को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करने पर रोक लगाने में मदद मिली है। दिनांक 01.11.2024 की स्थिति के अनुसार, 30.43 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पहल योजना के तहत नामांकित किया गया हैं।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को अत्यधिक किफायती मूल्य पर एलपीजी उपलब्ध कराने और उनके द्वारा एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 12 रीफिलों तक के लिए 14.2 कि. ग्रा. वाले प्रति सिलेंडर पर 200 रूपए (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए समानुपातिक रूप से आनुपातिक) तक की निर्धारित राजसहायता की शुरूआत की है। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने प्रतिवर्ष 12 रीफिलों तक के लिए 14.2 कि.ग्रा. वाले प्रति सिलेंडर पर 300 रूपए (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए समानुपातिक रूप से आनुपातिक) की निर्धारित राजसहायता में और वृद्धि की है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 300 रुपए प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार प्रति सिलेंडर 503 रुपए के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध (दिल्ली में) करा रही है।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इसका लाभ योग्य और लक्षित लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो। लाभ का सीधा अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण वांछित लाभार्थियों को लक्षित लाभ पहुँचाने के लिए लाभार्थियों की सटीक, रियल टाईम और लागत प्रभावी पहचान, प्रमाणीकरण और डी-डुप्लीकेशन को सक्षम बनाता है।

उपभोक्ताओं के प्रमाणीकरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सरकार ने अक्टूबर 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को पीएमयूवाई और पहल लाभार्थियों का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करने और उसे पूरा करने के निर्देश जारी किए थे।

उपभोक्ता विभिन्न तरीकों से अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का कार्य पूरा कर सकते हैं। इसमें उनके संबंधित ओएमसीज द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग शामिल है। यह विकल्प सुविधा और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार वितरक के पास जाए बिना अपने स्मार्ट फोन का उपयोग करके प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। उपभोक्ता अपने सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी बायोमेट्रिक आधार का प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं। यह विधि से प्रमाणीकरण करने पर उपभोक्ताओं को किसी दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता के बिना भी प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति देती है। उपभोक्ता अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के शोरूम पर जाकर भी प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का विकल्प चुन सकते हैं, जो उन लोगों के लिए विकल्प प्रदान करता है जो डिलीवरी के समय मौजूद नहीं हो सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से प्रक्रिया को पूरा करना पसंद करते हैं।

सभी पीएमयूवाई और डीबीटीएल एलपीजी उपभोक्ताओं को अपनी सुविधानुसार किसी भी उपलब्ध विधि का उपयोग करके बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से गुजरना आवश्यक है। यह लचीला दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता अपनी व्यक्तिगत पसंद और परिस्थितियों के अनुसार सबसे उपयुक्त विधि और समय चुन सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के दौरान बड़ी संख्या में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (35 लाख से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थी) सफलतापूर्वक किए गए। एलपीजी सुरक्षा निरीक्षण/शिविरों के एक भाग के रूप में ग्राहक के निवास पर प्रमाणीकरण गतिविधियाँ की जा रही हैं जो वर्तमान में चल रही हैं। जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए कोई सेवा या लाभ बंद नहीं किया गया है।

92% से अधिक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता आधार से जुड़े हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं के बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक

"एलपीजी लाभार्थियों का ई-केवाईसी" के संबंध में संसद सदस्य श्री तारिक अनवर दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2791 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लेखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या	एलपीजी आधार सीडिंग	**%** एलपीजी आधार सीडिंग	नकद अंतरण अनुपालक (पहल) उपभोक्ता	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सीटीसी पहल उपभोक्ता	**%** बॉयोमीट्रिक प्रमाणित की
1	अंडमान और निकोबार	1,27,930	1,12,088	87.62%	107410	59339	55.25%
2	आंध्र प्रदेश	1,57,84,682	1,50,21,480	95.16%	14697280	9738581	66.26%
3	अरुणाचल प्रदेश	3,29,275	2,62,939	79.85%	286780	21042	7.34%
4	असम	91,72,178	33,99,874	37.07%	8853981	1713710	19.36%
5	बिहार	2,28,62,336	2,21,57,991	96.92%	22200016	10887772	49.04%
6	चंडीगढ़	3,04,376	2,60,964	85.74%	247508	42381	17.12%
7	छत्तीसगढ़	63,05,762	60,41,276	95.81%	6045016	3733172	61.76%
8	दादरा नगर-हवेली एंड दमन	1,70,780	1,54,949	90.73%	147601	96933	65.67%
9	दिल्ली	56,44,932	46,12,451	81.71%	4413654	1347311	30.53%
10	गोवा	5,76,105	4,78,247	83.01%	448228	210915	47.06%
11	गुजरात	1,27,51,505	1,17,58,700	92.21%	11550734	5212757	45.13%
12	हरियाणा	81,83,894	75,15,688	91.84%	7278338	2643806	36.32%
13	हिमाचल प्रदेश	22,29,512	20,32,837	91.18%	1944304	881997	45.36%
14	जम्मू और कश्मीर	35,31,149	27,94,119	79.13%	3142230	1298676	41.33%
15	झारखंड	66,04,388	62,61,434	94.81%	6268201	2639367	42.11%
16	कर्नाटक	1,87,52,903	1,74,37,091	92.98%	17052029	9523264	55.85%
17	केरल	97,75,013	93,61,531	95.77%	8898976	5876664	66.04%
18	लद्दाख	99,482	74,907	75.30%	75214	23129	30.75%
19	लक्षद्वीप	11,867	11,240	94.72%	9876	1752	17.74%
20	मध्य प्रदेश	1,74,77,292	1,67,30,557	95.73%	16621883	7236504	43.54%
21	महाराष्ट्र	3,16,05,235	2,88,49,328	91.28%	27834066	12897298	46.34%
22	मणिपुर	6,98,795	6,53,618	93.54%	665113	81317	12.23%
23	मेघालय	5,21,695	2,28,968	43.89%	496235	146388	29.50%
24	मिजोरम	3,63,350	3,04,103	83.69%	325060	129125	39.72%
25	नागालैंड	3,81,757	2,94,894	77.25%	315876	99893	31.62%
26	ओडिशा	1,00,35,285	95,27,621	94.94%	9493542	4493884	47.34%
27	पुदुच्चेरी	4,08,931	3,90,912	95.59%	381015	199578	52.38%
28	पंजाब	95,85,893	87,74,230	91.53%	8502654	2976741	35.01%
29	राजस्थान	1,83,20,605	1,71,24,680	93.47%	17029542	9630159	56.55%
30	सिक्किम	1,86,745	1,76,234	94.37%	170926	68201	39.90%
31	तमिलनाडु	2,36,46,112	2,24,66,365	95.01%	22255373	12757097	57.32%
32	तेलंगाना	1,26,19,420	1,18,73,391	94.09%	11413808	6775984	59.37%
33	त्रिपुरा	8,39,776	8,06,545	96.04%	808025	254698	31.52%
34	उत्तराखंड	32,07,502	28,45,745	88.72%	2829009	1305484	46.15%
35	उत्तर प्रदेश	4,81,61,129	4,56,36,053	94.76%	45583432	19814605	43.47%
36	पश्चिम बंगाल	2,70,64,252	2,61,22,601	96.52%	25967028	16887633	65.03%

स्रोत: उद्योग के आधार पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नवंबर 2024 के पहले सप्ताह तक)

*****